

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या – 336/2013/जालौर
2. अपील संख्या – 337/2013/जालौर

मैसर्स मुफ्त सिंह जवाहर सिंह, चार भुजा रोड,
भीनमाल, जिला जालौर
बनाम

.....अपीलार्थी.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वृत्त पाली

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री पी. एम. चौपड़ा,
अभिभाषक
श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.
निर्णय दिनांक : 13.06.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलों उपायुक्त (अपील्स), जोधपुर-द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्त आदेश दिनांक 29.01.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त, पाली (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।
2. दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने एवं एक ही व्यवहारी से संबंधित होने के कारण इनका निष्पादन एक ही निर्णय से किया जा रहा है निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपायुक्त (प्रशासन), पाली के निर्देशानुसार सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, वृत्त, प्रतिकरापवंचन, पाली द्वारा दिनांक 16.03.2010 को अपीलार्थी-व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। वक्त सर्वेक्षण बिक्री से संबंधित एक लाल बही पाई गई जिसे अधिनियम, 2003 की धारा 75(4) के तहत अभिगृहित कर, वेट-46 जारी किया एवं व्यवसाय स्थल पर मौजूद माल की भौतिक गणना की गयी। व्यवसाय स्थल पर पाये गये भौतिक माल की ऑडिट के लिए व्यवसायी को धारा 75(1) के तहत नोटिस दिनांक 22.03.2010 का दिया गया। दिनांक 22 एवं 23.03.2010 को व्यवसाय-स्थल पर पाये गये माल एवं सील रिकार्ड की ऑडिट की गयी। ऑडिट रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2008-09 में रुपये 26,65,184/- की 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य तथा वर्ष 2009-10 (दिनांक 01.04.2009 से 28.02.2010 तक) रुपये 27,05,551/- की 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल की बिक्री अघोषित पायी गयी। वक्त सर्वेक्षण भौतिक गणना में रुपये 5,72,629/- का स्टॉक कम पाया गया, जिसे सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ने वर्ष 2009-10 में की गई अघोषित

लगातार.....2

२७

बिक्री में सम्मिलित माना है तथा कर नीति परिपत्र 13/2009, दिनांक 07.08.2009 के अनुक्रम में पत्रावली अग्रिम कार्यवाही में धारा 25, 55 एवं 61 के तहत प्रस्तावित कर, कर निर्धारण अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, पाली को स्थानान्तरित गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 30.03.2010 को पेशी हेतु व्यवसायी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में व्यवसायी द्वारा दिनांक 23.03.2010 को वेट-60 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण का प्रशमन उपायुक्त (प्रशासन) से चाहा गया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी की अनुशंसा के अनुरूप स्वीकार कर अधिनियम की धारा 25,55,61 सपठित धारा 68(2) के तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पृथक-पृथक आदेश दिनांक 31.03.2010 को अपीलार्थी व्यवसायी के विरुद्ध निम्नानुसार मांग कायम की गयी जो नीचे लिखी सारणीनुसार दर्शायी जा रही है:-

अ. सं.	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	कर निर्धा. आदेश दि०	वित्तीय वर्ष	कर राशि	प्रशमन राशि	ब्याज राशि
336/13	23/RVAT/जालौर/12-13	31.03.10	2008-09	1,06,207	1,06,207	22347
337/13	22/RVAT/जालौर/12-13	31.03.10	2009-10	1,08,222	1,08,222	6511

कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने संयुक्त आदेश दिनांक 29.01.2013 द्वारा यह कहते हुए कि प्रशमन राशि जमा कराने के संबंध में रूल 74 की पालना नहीं की गयी। चूंकि प्रकरण में प्रशमन आदेश उपायुक्त(प्रशासन) द्वारा जारी किये गये हैं अतः इस आदेश पर अपीलीय अधिकारी द्वारा विचार किया जाना क्षेत्राधिकारी से बाहर है। इस आधार पर अपीलार्थी व्यवसायी की अपीलें निरस्त की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि सर्वेक्षण के दौरान सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा वेट नियम 51 की पालना नहीं की गई क्योंकि व्यवहारी को मौके पर प्रमाणित प्रतिलिपियां नहीं दी गई तथा जिन दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये हैं वो उस क्षेत्र के मौजिज व्यक्ति नहीं हैं। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण के दौरान लिये गये बयान एवं माल की भौतिक गणना रिपोर्ट पर “R.O.A.C.” करना प्रमाणित नहीं किये गये हैं। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय 92 एसटीसी 629 की पालना नहीं की गई। वक्त सर्वेक्षण जिन प्रपत्रों को सीज किया गया था उनकी प्रतिलिपि आयुक्त महोदय को 24 घण्टे में प्रस्तुत नहीं की गई एवं सीजर मीमों में प्रपत्रों को सीज करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। ऑडिट के संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 23.03.2010 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा डरा धमकाकर की गई है। एक ही दिन में 143 पुष्ठ की पृष्ठवार अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार कर उसे कम्प्यूटर में टाईप करवाना तथा पत्रावली को वाणिज्यिक कर अधिकारी को स्थानान्तरित करना एवं प्रशमन हेतु करदायी से आवेदन पत्र प्राप्त करना, उपायुक्त (प्रशासन) कार्यालय भिजवाना असम्भव प्रतीत होता है। वेट 38 क्रमांक 0237887, दिनांक 23.03.2010 को वाणिज्यिक कर अधिकारी, ए0ई0 पाली ने रुपये 1,50,000/- की मांग पेटे नकद वसूली करते हुए उक्त रसीद पर यह अंकित किया है कि सर्वेक्षण दिनांक 16.03.2010 तथा निष्पादन तिथि 23.03.2010 जबकि उपायुक्त (प्रशासन) ने अपने प्रशमन

लगातार.....3

आदेश दिनांक 23.03.2010 को तथा वाणिज्यिक कर अधिकारी ने अपना कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2010 को पारित किया है। वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा बिना आदेश पारित किये ही नकद वसूली की है जो अवैधानिक है। उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा भी प्रशमन आदेश पारित करने से पूर्व नियम 48, 49 एवं 50 की पालना नहीं की गई है। प्रशमन आदेश में वेट अधिनियम के नियम 74 की पालना नहीं की गई है क्योंकि प्रशमन राशि निर्धारित समय में राजकोष में जमा नहीं कराई गई है इसलिए प्रशमन आदेश अविधिक है। व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने प्रमाण के रूप में मांग जमा के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 1083, दिनांक 07.03.2010 बकाया एवं क्रमांक 1617, दिनांक 23.10.2010 मांग राशि रुपये 28,816/- जमा कराने के लिए जो मांग पत्र वेट-14 जारी किये हैं उनकी छायाप्रतियां पेश की जिन्हें पत्रावली में शामिल किया गया। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने 18 टैक्स अपडेट 162, 18 टैक्स अपडेट 251, 8 टैक्स अपडेट 26, 8 टैक्स अपडेट 324, 21 टैक्स अपडेट 32, 14 टैक्स अपडेट 102 तथा 16 टैक्स अपडेट 290 आदि न्यायिक दृष्टान्तों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जावे।

5. विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए, प्रस्तुत दोनों अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

7. विचाराधीन प्रकरणों में व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 16.03.2010 को किया गया है। व्यवसायी को सर्वेक्षण के आधार पर अधिनियम की धारा 25, 61 एवं 55 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 23.03.2010 को जारी किया गया है जिसमें आगामी तारीख पेशी 30.03.2010 दी गई है। व्यवहारी ने दिनांक 23.03.2010 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि सर्वेक्षण के आधार पर अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो उचन्ती बिक्री बनती है उस पर कम्पाउण्ड राशि चैकों के माध्यम से जमा करवाने को तैयार है। व्यवहारी ने प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया कि वह वेट 60 अग्रेषित करवाने हेतु भरकर प्रस्तुत कर रहा है। व्यवहारी ने यह भी कथन किया कि उसे सुनवाई के अवसर की आवश्यकता नहीं है व फैसला आज ही करवाने का कष्ट करे। साथ ही 1,50,000/- रुपये नगद एवं शेष राशि के चैक भी प्रस्तुत किये। प्रकरण में उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर विभाग, पाली द्वारा अधिनियम की धारा 68(2) के अंतर्गत प्रशमन आदेश दिनांक 29.03.2010 पारित किया तथा वर्ष 2008-09 में छुपायी गई बिक्री राशि रुपये 26,55,184/- पर 4 प्रतिशत की दर से कर 1,06,207/- रुपये, धारा 68(2) के अंतर्गत प्रशमन राशि रुपये 1,06,207/- कुल 2,12,414/- रुपये आरोपित की। इसी प्रकार वर्ष 2009-10 में छुपायी गई बिक्री राशि रुपये 27,05,551/- पर 4 प्रतिशत की दर से कर 1,08,222/- रुपये, धारा 68(2) के अंतर्गत प्रशमन राशि रुपये 1,08,222/- कुल 2,16,444/- रुपये आरोपित की। व्यवहारी द्वारा इस आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो अपीलीय अधिकारी ने इस आधार पर अस्वीकार की है कि प्रशमन आदेश जारी किये गये हैं जिन पर विचार किया जाना क्षेत्राधिकार से बाहर है।

8. प्रकरण में सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि व्यवहारी द्वारा प्रशमन प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण प्रशमन करवाये जाने पर प्रशमन आदेश के विरुद्ध अपील श्रवण योग्य है या नहीं।

9. प्रशमन का प्रावधान अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत है जो निम्न प्रकार है :-

68. Composition of offences. - (1) Where a person or a dealer is charged under this Act with the offence of avoidance or evasion of tax in any manner and at any time; he may make an application in the prescribed form and manner to the Deputy Commissioner (Administration) having jurisdiction, admitting his offence and making request therein for composition of the offence in lieu of penalty or prosecution.

(2) The Deputy Commissioner (Administration) may, whether or not an assessment order under any section of this Act has been passed, accept from the person who made the application under sub-section (1), by way of composition of the offence in lieu of penalty or prosecution a sum equal to of the amount of tax avoided or evaded.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), on an application by a person admitting the offence committed by him under sub-section (8) of section 75 or under sub-section (6) or (9) or (11) of section 76, the officer authorized under sub-section (4) of section 75 or the officers authorized under sub-section (4) of section 76 or Incharge of a check-post, as the case may be, may accept composition money from such person in lieu of penalty or prosecution, which shall be,-

(a) in case of offence committed under sub-section (8) of section 75 or sub-section (6) of section 76, equal to the amount of four times of the tax leviable on the goods involved or twenty five percent of the value of such goods, whichever is less;

(b) in case of offence committed by him under subsection (9) of section 76, equal to fifteen percent of the value of the goods;

(c) in case of offence committed under sub-section (11) of section 76, equal to twenty five percent of the value of such goods.

(4) The composition of any offence in lieu of penalty or prosecution under sub-section (2), shall be without prejudice to the liability of the person or dealer, charged with the offence, to pay the tax with interest so avoided or evaded or wrongly credited by him.

(5) On the payment of the amount of composition determined under sub-section (2) and (3), no further proceeding under the provisions of this Act for imposition of penalty or launching of prosecution for the same offence, shall be initiated.

(6) Notwithstanding anything contained in section 51, no amount of composition accepted and no amount of interest levied under this section, shall be waived or reduced by the Commissioner.

(7) Notwithstanding anything contained in section 82, no appeal shall lie or subsist against an order of composition made under this Act.

अधिनियम की धारा 68(7) के अनुसार प्रशमन आदेश के विरुद्ध अपील इस अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।

10. इस संबंध में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने Phasalkar Liquor Agency Vs Commercial Tax Officer, Intelligence-II, North Zone, Belgaum (1999 Vol. 114 STC page 9) में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

The process of compounding an offence is in substitution of a trial by the competent court, the only difference between the two being that in the case of composition of offences, the issue gets resolved on the basis of an agreement between the parties whereas in the case of a

लगातार.....5

2m

trial, it is the judgment of the court on contest that sets the matter at rest. Once, therefore, the party accused of the violations under the Act, comes forward to make an offer for composition, all that the authority competent to compound the same is required to examine is whether the offer should be accepted keeping in view the nature of the offences alleged and if so, the terms, as regards the composition fee at which such an offer should be accepted. It is only if the authority accepting the offer proposes a higher amount than what is offered by the dealer that a response from the dealer may become necessary. In cases where the amount proposed by the dealer is acceptable to the authority, there is no need nor any rationale behind insisting upon the issue of a notice to the dealer before making a composition order. Acceptance of the offer made by the dealer in compounding the offences departmentally, which has the effect of acquitting the dealer of the penal liability attached to his acts of omission and commission cannot be treated to be an adverse consequence which may necessitate the issue of a prior notice.

If the charge against the dealer is that he has failed to keep true and complete accounts, after the offence is compounded, it is no longer open to the dealer to turn round and say that the accounts maintained by him were true and complete and therefore there was no occasion for levy or collection of any composition fee. Similarly, if the charge against the dealer is that he has fraudulently evaded the payment of tax due under the Karnataka Sales Tax Act, 1957 and committed an offence contrary to section 29(2)(c) an offer for composition made by him would imply that he admits the facts which constitute such a fraudulent evasion. Any such admission which becomes the basis of an order of composition, tantamount in law to the acquittal of the dealer from the charge against him, cannot be withdrawn by the person making the same, except in cases where the admission is found to be vitiated by fraud or any other legal disability. Generally speaking such withdrawals cannot be permitted in the courts' writ jurisdiction under article 226 particularly when the same involve disputed questions of fact and have the effect of depriving the department of the option of prosecuting the dealer which it would have done but for the order of composition made at his instance. **Having benefited from an order invited by him by inducing the department to agree to a composition, the dealer cannot avoid the consequences by merely contending that the basis on which the composition had been offered by him and accepted by the prescribed authority, did not exist.**

11. इसी प्रकार माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, जांच चौकी, शाहजहांपुर बनाम मैसर्स रियल मार्बल्स उदयपुर (2009 टैक्स अपडेट वोल्यूम 25 पार्ट 3 पेज 147) में निम्न प्रकार अवधारित किया गया है :-

Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 section 68(3), 68(7)- Rajasthan Sales Tax Act, 1994, Section 72(6) - Composition of offences - While allowing the appeal of the Revenue, the Rajasthan Tax Board held that :-

अम

लगातार.....6

"(1) According to section 72(6) of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 and principles laid down in the matter of Messrs. Panney chand Ramgopal, Shri Doongargarh, (9 Tax Update 9), the appeal is not capable of being heard. (2) The Rajasthan Tax Board further held that provisions of section 72(6) of the RST Act, 1994 are almost identical to section 68(7) of the Rajasthan Vat Act, 2003 and (3) so far as the question of pressure for filing the application for composition is concerned, on record there does not appear any fact on the basis of which it can be ascertained that there was any pressure on the respondent because in such situation of pressure, the complaint could have been filed after contacting the senior officers."

12. माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ ने मैसर्स जॉनसन एण्ड जॉनसन लि0, जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, डूंगरपुर (2002 टैक्स अपडेट वोल्यूम 2 पार्ट 2 पेज 74) में भी निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

Rajasthan Sales Tax Act, 1994, Sections 72(3) & (6) - Filling of the appeal under section 84 not allowed against the order of composition made under section 72(3) of the Act.

13. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों एवं विधिक प्रावधान धारा 68(7) के प्रकाश में यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यवहारी द्वारा प्रशमन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर यदि प्रशमन आदेश पारित किया जाता है तो ऐसे आदेश की अपील नहीं की जा सकती क्योंकि एक बार प्रशमन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण में आगे की समस्त जांच व कार्यवाही रुक जाती है।

14. न्यायिक दृष्टिकोण से उन बिन्दुओं पर भी विचार किया जाता है जो अपीलार्थी ने अपील में उठाए हैं। अपीलार्थी का कथन है कि The Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006 के नियम 51 की पालना नहीं की गई है। अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि नियम 51 के प्रावधानों की पालना सर्व एवं सीजर के मामलों में किये जाने का प्रावधान है। सर्व की कार्यवाही अधिनियम की धारा 75(a) के अंतर्गत होती है जबकि सर्व की कार्यवाही 75(d) के अंतर्गत।

15. अपीलार्थी का कथन कि सर्वेक्षण करने से पूर्व दो गवाहों को बुलाया नहीं गया है, सही नहीं है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 7, 8 पर सर्व की कार्यवाही की रिपोर्ट है जिस पर दो गवाहों श्री पवन अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम, अग्रवाल कॉलोनी भीनमाल एवं श्री जबर सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह जाति राजपूत बड़ी ब्रह्मपुरी, भीनमाल के हस्ताक्षर हैं। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उसे वैट 46 की प्रतिलिपि नहीं दी है सही नहीं है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 16 पर वैट 46 की प्रतिलिपि प्राप्त करने के संबंध में श्री मुफत सिंह के हस्ताक्षर हैं तथा हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 16.03.2010 अंकित है।

16. अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उसके द्वारा प्रशमन आदेश की पालना में प्रशमन राशि जमा नहीं करवायी गई है जो 30 दिवस में जमा होनी चाहिए थी। राशि जमा नहीं होने के कारण नियम 74 के अंतर्गत प्रशमन आदेश शून्य हो जाता है।


2m

लगातार.....7

अपीलार्थी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि प्रशमन प्रार्थना पत्र अपीलार्थी स्वयं ने प्रस्तुत किया है तथा कुछ राशि नगद जमा करवायी है एवं शेष राशि के चैक प्रस्तुत किये गये हैं। यदि कोई राशि शेष रहती भी है तो प्रशमन आदेशों के परिणामों से अपीलार्थी व्यवसायी विदग्ध नहीं कर सकता है जैसाकि न्यायिक दृष्टान्त Phasalkar Liquor Agency Vs Commercial Tax Officer, Intelligence-II, North Zone, Belgaum (1999 Vol. 114 STC page 9) में अवधारित किया गया है।

17. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलें अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती हैं।

18. निर्णय सुनाया गया।

()
(नथूराम)
सदस्य